"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2014—आश्विन 11, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2014

क्रमांक ई-1-04-2014/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री डी. डी. सिंह, भा.प्र.से. (2000), विशेष सचिव, सहकारिता विभाग एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

2. श्रीमती शहला निगार, भा.प्र.से. (2001), विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, वित्त विभाग के पद पर पदस्थ करता है. साथ ही उन्हें संचालक, बजट का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

नया रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2014

संशोधित आदेश

क्रमांक एफ 1-01/2014/1-15.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 17-07-2014 के सरल क्रमांक 4 में अंकित श्री जे. के. कटकवार, भा.व.से. (1999), वनमंडलाधिकारी, मनेन्द्रगढ़ वनमंडल, मनेन्द्रगढ़ को स्थानांतरित करते हुए वनमंडलाधिकारी, कार्य आयोजना, सरगुजा वृत्त, मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ पदस्थ किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए वनमंडलाधिकारी, कार्य आयोजना, वनमंडल अंबिकापुर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टंडन, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-17/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती एम. मर्सीबेला, उप वन संरक्षक (विकास/योजना), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

1. दिनांक 01-07-2014 से 24-07-2014 तक कुल 24 दिवस का अर्जित अवकाश
2. दिनांक 25-07-2014 से 14-08-2014 तक कुल 21 दिवस का अवैतनिक अवकाश
3. दिनांक 01-09-2014 से 27-02-2015 तक कुल 180 दिवस का मातृत्व अवकाश

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती बेला, उप वन संरक्षक (विकास/योजना), प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती बेला को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती बेला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-26/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री मयंक श्रीवास्तव (भा.पु.से.-सी.जी. 2006), पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ., बघेरा, जिला दुर्ग को दिनांक 03-10-2014 से दिनांक 10-10-2014 तक (कुल 08 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीवास्तव आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ., बघेरा, जिला दुर्ग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री श्रीवास्तव को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मयंक श्रीवास्तव (भा.पु.से.-सी.जी. 2006) अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. सोनी, अवर सचिव.

LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Naya Raipur, the 16th September 2014

No. 8055/2934/XXI-B/C.G./2014.—State Government is pleased to appoint Shri C. D. Singh, Advocate on record, Supreme Court, as Additional Advocate General for the State of Chhattisgarh, for conducting the cases relating to Chhattisgarh in the Supreme Court of India, New Delhi, from the date he assumes charge of his office.

His Head Quarter shall be at New Delhi, He may be directed by the State Government to represent the State in other courts of India from time to time.

Both parties shall be at liberty to terminate the contract at any time with one month's prior notice.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SAMANTRAY, Principal Secretary.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-5/2008/11/(6).—छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 4 की उप धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित क्षेत्र के लिए उक्त अधिनियम के धाराओं में रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त किया गया है, राज्य एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के खाना (4) अनुसार अवकाश अवधि के लिए लिंक अधिकारी नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	कार्य क्षेत्र (3)	अवकाश अवधि में लिंक अधिकारी का नाम (4)
1.	श्री अजय चौबे, सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, बिलासपुर.	बिलासपुर संभाग/सरगुजा संभाग	श्री आर. आर. राजभानू, सहायक पंजीयक.
2.	श्री डी. एल. धुर्वे, सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं रायपुर.	रायपुर संभाग/दुर्ग संभाग	श्री आर. आर. राजभानू, सहायक पंजीयक.
3.	श्री आर. आर. राजभानू, सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं रायपुर.	बस्तर संभाग	श्री डी. एल. धुर्वे, सहायक पंजीयक.

नया रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-5/2008/11/(6).—छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) क्रमांक 44 सन् 1973 की धारा 4 की उपधारा 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-06-2008 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारी को उक्त सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उसके कॉलम-3 में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धारा के द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का

पालन करने के लिए नियुक्त करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम/पदनाम	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारायें	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री डी. एल. धुर्वे, सहायक पंजीयक	धारा-6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2), 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39.	रायपुर एवं दुर्ग संभाग

इस अधिसूचना के कारण रजिस्ट्रार को अधिनियम, नियमों व शासन आदेशों के अधीन प्राप्त अधिकारों में कोई कमी व परिवर्तन नहीं होगा.

उक्त अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण रजिस्ट्रार द्वारा किया जावेगा व प्रशासनिक नियंत्रण भी रजिस्ट्रार का रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 02-23/2012/10-1/वन.—यतः, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा, अपेक्षित अनुसार, निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा के रूप में प्रति वर्ष एक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जायेगी, अर्थात् :—

छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा नियम, 2014

(1) सेवा/पद की श्रेणी :—

1. छत्तीसगढ़ वन सेवा, सहायक वन संरक्षक : द्वितीय
2. वन क्षेत्रपाल : द्वितीय
3. परियोजना क्षेत्रपाल : द्वितीय
4. वन विभाग से संबंधित अन्य पद, जिसे राज्य शासन, आयोग की सहमति से सम्मिलित करना चाहे.

(2) यह संयुक्त परीक्षा निम्नानुसार आयोजित होगी :—

(क) छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा (लिखित परीक्षा और साक्षात्कार) जिसके माध्यम से अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया जायेगा.

(ख) परीक्षा योजना परिशिष्ट-एक में संलग्न है. संबंधित विषयों के लिये पाठ्यक्रम आयोग द्वारा समय-समय पर विहित एवं अद्यतन किये जायेंगे.

(एक) समस्त अभ्यर्थियों को, जिन्होंने किसी सेवा/पद पर विचार किए बिना उसे अधिमान दिया हो, परीक्षा योजना में विनिर्दिष्ट अनुसार प्रश्न पत्रों की संख्या से अपेक्षित उत्तर देने होंगे.

(3) (क) प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) में वस्तुनिष्ठ प्रकार के चार प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन से संबंधित, द्वितीय प्रश्न पत्र भाषा (हिन्दी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी), तृतीय प्रश्न पत्र बुद्धिमता परीक्षण, विश्लेषणात्मक योग्यता एवं तार्किक परीक्षण तथा चतुर्थ प्रश्न पत्र विज्ञान, ...द्योगिकी एवं पर्यावरण के होंगे. द्वितीय चरण में साक्षात्कार सम्पन्न होगा.

(ख) प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) में, आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार, निर्धारित न्यूनतम अंक के आधार पर अभ्यर्थियों के नाम घोषित किए जाएंगे तथा उनमें से प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रावीण्यता के क्रम में रखे जायेंगे। इन अभ्यर्थियों में से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन प्रत्येक पद के लिये अधिकतम तीन अभ्यर्थियों तथा प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन अंतिम अभ्यर्थी के बराबर अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण (साक्षात्कार) के लिए अर्ह माना जायेगा।

(ग) (एक) साक्षात्कार के पश्चात्, आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के नाम, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में उन्हें दिये गये कुल अंकों के अनुसार प्रावीण्यता क्रम में रखे जायेंगे। किसी सेवा विशेष के लिये किसी अभ्यर्थी के नाम की सिफारिश करते समय, नीचे उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन, आवेदन प्ररूप में अभ्यर्थी द्वारा व्यक्त किये गये अधिमान पर, यदि कोई हो, सम्यक् रूप से विचार किया जायेगा।

(क) अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में कोई अधिमान व्यक्त न किये जाने की दशा में उस पर सभी पदों के लिए उसी क्रम से विचार किया जायेगा, जिस क्रम से विज्ञापन में उल्लिखित था।

(ख) यदि अभ्यर्थी अपने अधिमान के पद के लिए अंक प्राप्त करने में सफल न हो, तो उसके नाम पर अन्य पदों के लिये उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उसी क्रम से विचार किया जायेगा, जिस क्रम से विज्ञापन में उल्लिखित था।

(ग) यहाँ उल्लिखित सिद्धांत, अनुपूरक सूची तैयार करते समय भी लागू होंगे।

(दो) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग (गैर–क्रीमिलेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में आरक्षित रिक्त स्थानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पद के लिये मूल प्रावीण्यता सूची इसी प्रकार पृथक रूप से तैयार की जायेगी। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग (गैर–क्रीमिलेयर) का कोई अभ्यर्थी उसके कुल अंकों के आधार पर अनारक्षित प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है, तो उसे अनारक्षित सूची में सम्मिलित किया जायेगा और उसका विचारण आरक्षित सूची में रिक्त पदों के विरूद्ध नहीं किया जायेगा।

(घ) आयोग, मुख्य सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या के 50% के बराबर प्रवर्गवार अभ्यर्थियों की एक अनुपूरक सूची भी तैयार करेगा।

(4) आयोग से सिफारिश की प्राप्ति पर, शासन अभ्यर्थियों के बारे में ऐसी रीति से जाँच पड़ताल करेगा, जैसा कि वह यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से उचित समझे कि वे विशिष्ट पद पर नियुक्ति के लिये सभी दृष्टिकोण से उपयुक्त हैं। **शासन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।**

(5) पात्रता संबंधी शर्तें.–

(क) राष्ट्रीयता – अभ्यर्थी, भारत का नागरिक होना चाहिए।

(ख) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें–

(1) निम्नलिखित विषयों अर्थात् (1) जीव विज्ञान (2) भौतिक शास्त्र (3) रसायन शास्त्र में कम से कम एक विषय के साथ हायर सेकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

(2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विषयों अर्थात् कृषि, वनस्पति शास्त्र, कम्प्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, भू–विज्ञान, बागवानी, गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, पशु विज्ञान, प्राणी शास्त्र में कम से कम एक विषय सहित विज्ञान स्नातक अथवा समकक्ष या अभियांत्रिकी/तकनीकी की किसी भी शाखा/विषय में स्नातक या समकक्ष होना चाहिये।

टीपः– अभ्यर्थी के द्वारा उपर्युक्त शैक्षणिक अर्हताओं के संबंध में प्रमाणपत्र/अंकसूची, आवेदन की प्रस्तुति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि पर अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लेना चाहिए। आवेदन की प्रस्तुति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद जारी किये गये शैक्षणिक अर्हताओं से संबंधित प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे।

(ग) **आयु–** (एक) अभ्यर्थी की आयु जनवरी, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, के प्रथम दिवस को 21 वर्ष से कम न हो और 30 वर्ष से अधिक न हो, तथापि, छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों तथा मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए, उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष होगीः

परन्तु यह कि राज्य शासन, सेवा की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इन नियमों में सम्मिलित किसी सेवा के लिये न्यूनतम और उच्चतर आयु सीमा में परिवर्तन कर सकता है।

(दो) उपरोक्त विहित उच्चतर आयु सीमा में, निम्नानुसार छूट दी जा सकेगीः–

(क) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यथा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग (गैर–क्रीमिलेयर) का हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पाँच वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(ख) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/कार्यभारित या आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अड़तीस वर्ष होगी। उच्चतर आयु सीमा में यह छूट परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी।

(ग) ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम सात वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(घ) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की अनुमति दी जायेगी, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के द्वारा कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(4) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं;

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(ङ) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में दस वर्ष की छूट दी जायेगी।

(च) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ–1–2/2002/1/3 दिनांक 02.6.2004 एवं परिपत्र क्र. एफ 1–2 /2002/ 1/ 3 दिनांक 10.2.2006 के अनुसार शासकीय सेवा में भर्ती के लिये ऐसे आवेदक, जिन्होंने शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों के रूप में सेवा की है, उतनी अवधि की छूट हेतु पात्र होंगे, जितनी अवधि तक उन्होंने शिक्षा कर्मी/पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है, किन्तु किसी भी दशा में छूट 45 वर्ष तक की आयु से अधिक नहीं होगी तथा इस प्रयोजन के लिये छः माह की सेवा को एक वर्ष माना जा सकेगा।

(छ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशण्ड अधिकारियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(ज) विधवा, परित्यक्ता महिला तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

(झ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में, उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम दो वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(ञ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन छत्तीसगढ़ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पाँच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ट) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ठ) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम 5 के अन्तर्गत, संविदा पर नियोजित व्यक्तियों को, शासकीय सेवा में नियोजन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर, अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रुप में सेवा की है। परन्तु ऐसी छूट अड़तीस वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अध्यधीन होगी।

(ड) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 3–2/2002/1–3, रायपुर दिनांक 15.06.2010 के निबंधन के अन्तर्गत किसी भी मामले में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टीपः– उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों के अतिरिक्त, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा के संबंध में, समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(6) नियम 5 के खण्ड (ग) में यथा उपबंधित के अलावा, आयु सीमा के संबंध में कोई छूट नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि आयोग केवल ऐसी जन्मतिथि स्वीकार करेगा, जैसा कि मैट्रिक या हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा प्रमाणपत्र में है या उसके समकक्ष परीक्षा के संबंध में प्रमाणपत्र में उल्लिखित की गई हो। आयु से संबंधित अन्य दस्तावेज जैसे जन्मपत्री, शपथ पत्र, सिविल सेवा अभिलेखों तथा कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि दर्ज हो जाने के बाद आवेदन में उल्लिखित आयु में परिवर्तन के किसी निवेदन को किसी भी परिस्थिति में ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(7) **निरर्हता–** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अधीन, निम्नलिखित निरर्हताएं लागू होंगीः–

(क) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन अभिप्राप्त करने का किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये निरर्हता माना जा सकेगा।

(ख) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ग) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो कि विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष, जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकते हों, से मुक्त घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(घ) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझे, के पश्चात्, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(ङ) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम अवधारण न कर दिया जाए।

(च) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(छ) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पृष्ठ 8 पर जारी...

(8) आयोग अभ्यर्थियों को किसी विशेष सेवा के लिए उनकी पात्रता के संबंध में परामर्श नहीं दे सकता। अभ्यर्थियों को स्वयं यह देखना होगा कि क्या वे विहित पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं और यदि कतिपय सेवाओं के लिए शारीरिक मानक विहित किये गये हैं, तो पद हेतु आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थियों को इस बात से स्वयं का समाधान कर लेना चाहिये कि क्या वे सेवा के लिए विहित न्यूनतम शारीरिक अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं।

शारीरिक मापदण्ड (न्यूनतम)

	पुरूष	महिला
(एक) ऊंचाई (अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग)	163 से.मी	150 से.मी.
(दो) ऊंचाई (अनुसूचित जनजाति)	152 से.मी.	145 से.मी.
(तीन) सीना	084 से.मी.	079 से.मी.
(चार) न्यूनतम सीना विस्तार	005 से.मी.	005 से.मी.
(पाँच) शारीरिक क्षमता परीक्षण, चार घण्टे पैदल चलना	026 कि.मी.	016 कि.मी.

(9) (एक) परीक्षा में उपस्थित होने के लिये अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन या पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा। परीक्षा अनन्तिम होगी, यदि बाद की तारीख के सत्यापन के दौरान यह पता चलता है कि अभ्यर्थी पात्रता की समस्त शर्तें पूरी नहीं करता है, तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। यदि उसका दावा गलत पाया जाता है, तो आयोग द्वारा नियम 14 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी।

(दो) इस तथ्य का कि अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, यह अर्थ नहीं होगा कि, उसकी अभ्यर्थिता को आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है न ही यह कि आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टियां आयोग द्वारा शुद्ध किये गये रूप में स्वीकार कर ली गई है।

(तीन) अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत किये गये मूल दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थियों की पात्रता की शर्तों का सत्यापन, उनके परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद किया जायेगा और जब तक आयोग द्वारा उनके चयन की पुष्टि नहीं कर दी जाती, तब तक उसकी अभ्यर्थिता अनंतिम ही रहेगी।

(10) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का, ऐसी आवश्यक जाँच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उप

(11) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जब तक वह आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र प्रस्तुत न करे तथा परीक्षा एवं साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के साथ फोटो युक्त आई. डी. प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(12) (क) आयु में किसी छूट का दावा करते समय, अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्रों के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सुसंगत मूल दस्तावेज को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। ऐसे दस्तावेज के अभाव में, किसी छूट/रियायत के अभ्यर्थी के दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किए गए शासकीय सेवक होने के आधार पर आयु सीमा में छूट के लिए दावा करता है, उसे वहाँ के विभागाध्यक्ष से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जहाँ से उसकी छंटनी की गई थी। प्रमाणपत्र में उसके द्वारा धारित प्रत्येक पद और पद पर उनकी नियुक्ति तथा पद छोड़ने की तारीख अन्तर्विष्ट होगी और यह भी प्रमाणित किया जायेगा कि स्थापना व्यय में कटौती के आधार पर उस व्यक्ति को सेवामुक्त किया गया था। उसे रोजगार कार्यालय में अपने पंजीयन की, यदि कोई हो, एक अभिप्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करनी चाहिये।

(ग) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक होने के आधार पर आयु सीमा में छूट का दावा करता है, उसे अपने सुसंगत मंत्रालय/कार्यालय द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें उसकी प्रतिरक्षा सेवा के प्रारंभ होने तथा सेवामुक्त होने की तारीखों का उल्लेख होगा और यह कि उसकी मितव्ययिता इकाई की सिफारिश पर या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण, जो भी स्थिति हो, छंटनी की गई थी या उसे अतिशेष घोषित किया गया था। उसे रोजगार कार्यालय में अपने पंजीयन की, यदि कोई हो, एक अभिप्रमाणित प्रति भी संलग्न करनी चाहिये।

(13) ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे आयोग ने निम्नलिखित आचरण के लिए दोषी पाया हो:–

(क) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो;

(ख) जिसने छद्म प्रतिरूपण किया हो;

(ग) जिसने प्रतिरूपण किया हो या अपने लिये किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया/किया हो;

(घ) जिसने झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों या जिनके पास कूटरचित दस्तावेज हों;

(ङ) जिसने चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर ऐसे कथन किये हों, जो झूठे हों या जिनमें सारभूत जानकारी छिपाई गई हो;

(च) जिसने परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो;

(छ) जिसने परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो;

(ज) जिसने परीक्षा के संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो, धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचाई हो;

(झ) जिसने उनके प्रवेश पत्र में दिये गये अथवा परीक्षा के पर्यवेक्षण में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारियों द्वारा मौखिक रूप से दिये गये निदेशों तथा अनुदेशों का उल्लंघन किया हो;

(ञ) जिसने परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार के दौरान किसी भी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो।

उसके विरूद्ध आपराधिक अभियोजन प्रारंभ किया गया हो, तथा, आगे:—

(एक) आयोग द्वारा उसे परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, अयोग्य ठहराया जा सकेगा; या

(दो) उसे स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किया जायेगा,

(क) परीक्षा या उनके चयन से आयोग द्वारा;

(ख) उसके अधीन नियोजन से शासन द्वारा; और

(तीन) यदि वह शासन की सेवा में पूर्व से ही हो, तो सुसंगत नियमों के अधीन उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी:

परन्तु यह कि, इस नियम के अधीन कोई भी शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जायेगी, जब तक कि अभ्यर्थी को, लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिये ऐसा समय न दिया गया हो और अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये अभ्यावेदन पर विचार किया जायेगा।

(14) नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(15) आयोग, अभ्यर्थी द्वारा उसके आवेदन पत्र में उल्लिखित अधिमान को दृष्टि में रखकर, परीक्षा केन्द्र आबंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(16) अंतिम परिणाम प्रकाशित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिये अंकसूचियाँ उपलब्ध होंगी।

(17) आयोग, लिखित या मौखिक परीक्षा हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की यात्रा तथा अन्य व्ययों की प्रतिपूर्ति नहीं करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये तथा जो पहले से सेवा में न हों, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 184/सी–33224/वित्त/नियम/चार/ 2011, दिनांक 07/06/2011 के अनुसार केवल बस या रेल के वास्तविक किराये का भुगतान किया जायेगा। देयक फार्म परीक्षा या मौखिक परीक्षा केन्द्रों पर उपलब्ध होंगे। इस सत्यापन के **पश्चात्, कि अभ्यर्थी ने वास्तव में परीक्षा दी है, भुगतान किया जायेगा।**

(18) किसी विशेष सेवा के लिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को, ऐसा प्रशिक्षण लेना होगा और ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाये। उन्हें छत्तीसगढ़ के किसी भी स्थान पर सेवा करनी होगी और उन्हें दी गई नियुक्ति को तत्काल स्वीकार करने में समर्थ होना चाहिये। नियुक्ति के समय, उन्हें एक ऐसा बंधपत्र, जैसा कि राज्य शासन विहित करे, न्यूनतम तीन वर्षो की कालावधि के लिए निष्पादित करना होगा।

(19) **निरसन एवं व्यावृत्ति.–** (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 02-23/2012/10-1/वन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (तीन) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18-09-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 18th September 2014

No. F 02-23/2012/10-1/Forest.—Whereas, the Chhattisgarh Public Service Commission shall, according to requirement, conduct a combined competitive examination every year called as Chhattisgarh Forest Service (Combined) Examination for recruitment to the following services/posts, namely :—

Chhattisgarh Forest Service (Combined) Examination Rules, 2014

(1) Grade of Service/Post.-

1. Chhattisgarh Forest Service, Assistant Conservator of Forests : Two
2. Forest Ranger : Two
3. Project Ranger : Two
4. Other posts related to forest department which the State Government may with the consent of the Commission include.

(2) This combined examination shall be conducted as follows:-

(a) Chhattisgarh Forest Service (Combined) Examination (written examination and interview) through which the final selection of candidates will be done.

(b) The examination plan is given in Annexure-I. The syllabus for the related subjects shall be prescribed and updated by the commission from time to time.

(i) Irrespective of whichever service/post they may have preferred, all Candidates will be required to answer the number of question papers as specified in the examination plan.

(3) (a) First stage (written examination) shall consist of four papers of Objective type, in which the first paper shall relate to General Studies, second paper to Language (Hindi, English and Chhattisgarhi), third paper to IQ Test, Analytical Skills and Test of Reasoning, and fourth paper to Science, Technology and Environment. The second stage shall consist of Interview.

(b) In the First Stage (written examination), on the basis of minimum marks prescribed according to its discretion, the Commission shall declare the names of candidates and the marks obtained by each candidate in the descending order of merit. Out of these candidates maximum three candidates for each post under each category, and under each category all candidates securing the marks scored by the last candidate shall be considered qualified for the second stage (interview).

(c) (i) After the interview, the Commission shall name the candidates in the order of merit according to their aggregate score in the written examination and interview. When recommending the name of any candidate for any particular service, subject to the conditions mentioned below, due consideration shall be given to the preference, if any, expressed by the candidate in the application form.

(a) In case a candidate has not expressed any preference in his application, then he shall be considered for all posts in the same order as was mentioned in the advertisement.

(b) If a candidate fails to secure the marks for the post of his preference, then his name will be considered on the basis of marks obtained by him, for other posts in the same order as was mentioned in the advertisement.

(c) The principle mentioned herein shall apply to preparation of the supplementary list also.

(ii) In respect of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backwards Communities (other than creamy-layer), merit list shall be prepared on the same principle separately for each post bearing in mind the vacant reserved seats. If a candidate belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backwards Communities (other than creamy-layer) secures a place in the general merit list on the basis of his marks, he will be included in the general list and will not be considered against vacant posts in the reserved list.

(d) The Commission shall also prepare a supplementary list of candidates, category-wise, equal to 50% of the number of candidates included in the main list.

(4) On receipt of the recommendation from the Commission, the Government shall probe the candidates, in such a manner as it may deem proper, to ensure that they are worthy in all respects for appointment to the particular post. Government reserves the right to offer appointment to the candidates.

(5) Eligibility-Related Conditions:-

(a) Nationality – The candidate must be a citizen of India.

(b) Minimum Educational Qualifications –

1. Should have passed Higher Secondary or equivalent examination with at least one of the following subjects viz, (1) Biology (2) Physics (3) Chemistry.
2. Must be a science graduate or equivalent from a recognized University with at least one of the following subjects, viz., agriculture, botany, computer application/science, environmental sciences, forestry, geology, horticulture, mathematics, statistics, physics, veterinary science, zoology or graduate in any branch/subject of Engineering/Technology or equivalent.

Note:- The candidate should have received Certificate/Marks Sheet in respect of the above educational qualification on the prescribed last date for submission of application or prior to that. Certificates relating to educational qualification issued subsequent to the prescribed last date for submission of application will not be acceptable.

(c) **Age – (i)** The age of the candidate must not be lower than 21 years and not more than 30 years as on the 1st day of January in which advertisement for the competitive examination, has been published however, for local candidates and bonafide candidates of Chhattisgarh, the upper age limit will be 35 years:

Provided that considering the extreme necessity of services, the State Government may alter the lower and upper age limits for any service included in these rules.

(ii) In the upper age limit prescribed above, relaxation may be granted as follows:-

(a) If the candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes (non-creamy layer) as notified by the Government of Chhattisgarh, and is a bonafide resident of the State of Chhattisgarh then up to five years relaxation in upper age limit may be granted.

(b) In respect of regular/temporary/works-charge or contingency paid employees, and employees of the Corporations/Boards etc of the Government of Chhattisgarh, the upper age limit shall be thirty-eight years. This relaxation in upper age limit shall also be applicable to employees working under Project Implementation Committee.

(c) A candidate, who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary Service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation: The term "retrenched Government Servant" denotes a persons who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(d) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, Provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three year.

Explanation:- The "term Ex-service man" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service:-

(1) Ex-serviceman released under mustering out concessions,

(2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on,

(a) Completion of short term engagement,

(b) Fulfilling and conditions of enrolment.

(3) Ex-personal of Madras Civil Units,
(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including short service regular commissioned officers;
(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
(6) Ex-serviceman invalid out of service;
(7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
(8) Ex-serviceman who is medically boarded out on account of gun-short wounds etc.

(e) Women candidates shall be granted a relaxation in age limit of ten years in accordance with Chhattisgarh Civil Service (Special Provisions for Employment of Women) Rules, 1997.

(f) Applicants who have served as Shiksha Karmi/Panchayat Karmis shall be eligible for relaxation for the period which they have served as shiksha karmi/panchayat karmi for recruitment in Government service in accordance with General Administrative Department Circular No.F-1-2-/2002/1/3 dated 02.6.2004 and Circular No.F-1-2-/2002/1/3 dated 10.2.2006, but in no case the relaxation shall exceed the age of 45 years and for this purpose service of more than six months will be deemed to be one year.

(g) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 (Eight) years but in no case their age should exceed 38 years;

(h) For widows, destitute women and divorcee-women relaxation in upper age limit shall be upto 5 years.

(i) The upper age limit shall also be relaxable up to a maximum of 2 years in respect of green card holder candidate under the family Welfare Programme;

(j) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under Inter-Caste Marriage promotional Scheme under the Untouchability Eradication Rules, 1984

(k) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of Shahid Rajiv Panday Award, Gundadhur Award, Maharaja Pravirchandra Bhanjdeo Award and National YouthAward holder candidates.

(l) Under Rule-5 of the CG Civil Service (Samvida Niyukti) Niyam, 2012, persons employed on contract shall, on the submission of application for employment in Government service, be allowed to deduct the period of their service provided that such relaxation shall be subject to a maximum limit of thirty-eight years.

(m) In terms of the Chhattisgarh Government, General Administrative Department Circular No. F 3-2/2002/1-3 Raipur dated 15.6.2010, in no case shall the maximum age limit be more than 45 years.

NOTE: Apart from the provisions mentioned above, directions issued by General Administrative Department of the Government, from time to time in respect of age limit shall also apply.

(6) Except as provided in clause (c) of rule 5, no relaxation shall be granted in respect of age limit. Candidates must bear this point in mind that the Commission shall accept only such date of birth as is mentioned in the Metric or Higher Secondary School Examination Certificate or on a certificate in respect of an examination equivalent to that. Other documents displaying age like horoscope, affidavit, civil service records, and such other documents shall not be acceptable. Once the date of birth has been entered in the application form, no request under any circumstance shall be entertained for any change.

(7) **Disqualification**:- Under rule 6 of Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, the following disqualifications shall apply:-

(a) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, directly or indirectly, shall be held by Appointing Authority to a disqualification for appearing in the examination/selection

(b) A male candidate who has more than one living wife, and a female candidate who has married a man, who already has a living wife, shall not be eligible for appointment to any post or service:

Provided that if the government is satisfied that there were specific reasons for doing so, then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidate.

(c) Any candidate shall not be appointed in any service or post until he/she has been declared mentally or physically fit and free from any mental or physical defect which could hinder the fulfilment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that if he is found to be medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(d) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service/post, if the appointing authority is satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(e) A candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then the matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(f) A candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

(g) A candidate who is having more than two living offspring, out of which one is born on 26th January 2001, or thereafter, shall not be eligible for any service or post:

Provided that any candidate who is already had one living offspring and the next delivery takes place on 26th January, 2001 or thereafter in which two or more children are born shall not be disqualified for any service or post.

(8) The Commission shall not provide counselling to candidates regarding their eligibility for any specific service. The candidates must verify for themselves whether they meet the prescribed eligibility conditions, and if standard physical parameters are prescribed for certain services then the candidate must satisfy themselves that they fulfil the prescribed minimum physical requirements prescribed for the service before applying for the post.

Physical Parameters (Minimum)

		Male	**Female**
(i)	Height (unreserved, Scheduled caste and other backward classes)	163 cms	150 cms
(ii)	Height (Scheduled tribes)	152 cms	145 cms
(iii)	Chest	084 cms	079 cms
(iv)	Minimum Chest expansion	005 cms	005 cms
(v)	Physical calibre test, walking within Four hours	026 Kms	016 Kms

(9) (i) Regarding eligibility of a candidate to appear for the examination, the decision of the Commission will be final. No representation or correspondence will be entertained in this regard. The examination will be provisional, in case at a later date during verification it is found that the candidate did not fulfil all conditions of eligibility, his candidature will be cancelled. If his claim is found to be false, the Commission shall take disciplinary action against him under the provisions contained in rule 14.

(ii) The fact that the candidate has been issued the Admit Card for the examination does not imply that the Commission has finally accepted his candidature, nor that the contents of the application form as filled in by the candidate have been accepted as correct by the Commission.

(iii) That verification of condition of the candidate's eligibility shall be done on the basis of his original documents produced by the candidates after he clears the examination and candidature shall be treated as provisional until commission confirms his selection.

(10) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(11) A candidate will not be admitted to the examination hall until he does not produce the Admit Card issued by the Commission it will be compulsory for the candidate to produce a Photo ID along with the Admit Card at the time of the examination and the interview.

(12) (a) When claiming any relaxation in age, the candidate will be required to attach with the application the original of the relevant document issued by the competent authority. In the absence of such document, the candidate's claim to any relaxation/concession will not be considered.

(b) A candidate who claims relaxation in age limit on the ground of being a retrenched employee of Chhattisgarh Government will have to produce a certificate in original, received from the Head of Department or office head from where he was retrenched. The certificate must contain details of every post held and the dates of assuming and demitting of the post, and it must certify that the person was retrenched to reduce the establishment costs. An attested copy of registration in the Employment Office, if any, will also have to be attached.

(c) A candidate who claims relaxation in age limit on the ground of being an ex-serviceman must produce original certificate issued by the relevant Ministry / Office in which the dates of his joining and leaving defence service must be mentioned and it must be certified that he was relieved or declared surplus on recommendation of the economization unit or general reduction in establishment, as applicable. An attested copy of registration in the Employment Office, if any, must also be attached.

(13) A candidate found guilty by the Commission of the following –

(a) Who has received support in any manner whatsoever for his candidature for the written examination or the interview;

(b) Who has assumed a false persona;

(c) Who impersonated or got some person to impersonate for him;

(d) Who has submitted false documents or who has forged documents;

(e) Who has made such statements at any stage of the selection process that are wrong and false or which conceal material facts;

(f) Who has resorted to any irregular or improper practice to gain entry to the examination;

(g) Who has resorted to or tried to resort to unfair practices in the examination hall;

(h) Who has harassed, or intimidated or physically assaulted personnel engaged in conduct of examination;

(i) Who has violated instructions and directions for candidates given in the Admit Card or orally by the Centre Supervisor or other officials engaged in superintendence of the Examination;

(j) Who has in any way misbehaved in the examination hall or during interview.

Criminal proceedings shall be initiated against him, and, further:-

(i) The Commission may declare him disqualified for the examination for which he is a candidate; or

(ii) He shall be debarred, permanently or for a specified period,

(a) by the Commission from the examination or its selection;

(b) by the government from employment under it; and

(iii) If he is already in the service of the government, then disciplinary action will be taken against him under relevant rules:

Provided that no penalty will be imposed under this rule till such time as the candidate has been given an opportunity to make a representation in writing and the representation of the candidate submitted within the allotted time has been considered.

(14) Applications received after the prescribed date will not be considered.

(15) The Commission reserves the right to allot the examination centre, bearing in mind the preference mentioned by the candidate in his application.

(16) The mark sheets will be available for candidates on the website of the Commission after publication of the final results.

(17) The Commission does not reimburse the travel and other expenses of the candidates appearing for written or oral examination. For candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (non-creamy layer) in the state of Chhattisgarh and not in service, only actual bus or rail fare will be reimbursed in accordance with the Finance Department memorandum no.184/C-33224/Finance/Rules /Four/2011 dated 07/06/2011. Claim forms will be available at the examination or oral examination centres. Payment will be made after attestation that the candidate has indeed appeared for the examination.

(18) For any special service the candidates finally selected will be required to undergo training and clear such departmental examination as may be prescribed by the government. They will be required to serve in any part of Chhattisgarh and they should be able to forthwith accept the appointment given to them. At the time of appointment, such a bond, as may be prescribed by the State Government, to serve the State Government for minimum period of three years will have to be furnished.

(19) **Repeal and Exception:- (1)** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 19 सितम्बर 2014

क्रमांक/4527/भू-अर्जन/कले./2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	चारामा	सुरावंड	1.23	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण सेतु निर्माण विभाग, जगदलपुर.	सुरावंड-पेटोली मार्ग के कि.मी. 2/2 सेंदार नदी पर सेतु निर्माण के पहुंच मार्ग.

कांकेर, दिनांक 19 सितम्बर 2014

क्रमांक/4530/भू-अर्जन/कले./2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	पीढ़ापाली	8.19	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन उत्तर बस्तर कांकेर.	कानागांव व्यपवर्तन योजना.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेल मंगई डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 सितम्बर 2014

क्रमांक 10886/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-कनकपुर, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.75 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	684/8	0.75
योग	1	0.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोन व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), बिलासपुर, छत्तीसगढ़

बिलासपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2014

क्रमांक 1362/ख.लि./न.क्र./2014.—बिलासपुर जिले में गौण खनिज की स्वीकृत उत्खनिपट्टा जिनकी अवधि समाप्त हो गई है. उन खदानों को गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के तहत खुला क्षेत्र (थ्रो ओपन) घोषित करने सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

बिलासपुर जिले में गौण खनिज की खदानों के क्षेत्र को खुला घोषित करने हेतु खदानों की सूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	तहसील	पटवारी हल्का नं.	खसना नं.	रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	खनिज का नाम	खुला क्षेत्र घोषित करने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	जयरामनगर	मस्तूरी	27	802	0.049	निजी भूमि	चूनापत्थर (निम्न श्रेणी)	अवधि समाप्त होने के कारण
				803	0.230			
				805	0.190			
				807/1	0.174			
				807/2	0.689			
				योग	**1.332**			

सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), जिला धमतरी

धमतरी, दिनांक 15 सितम्बर 2014

क्रमांक/991/भू-अभि./हल्का पुनर्गठन/2014.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं भीमसिंह कलेक्टर धमतरी एतद्द्वारा तहसील धमतरी के नगर पालिक निगम धमतरी क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं.

क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	पुनर्गठन के पूर्व पटवारी हल्का		पुनर्गठन के पश्चात् पटवारी हल्का		कैफियत
			प. ह. नं.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	ग्राम का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	धमतरी	भोथली	20	बठेना	20 अ	बठेना	
2.				शंकरदाह	20 ब	शंकरदाह	
3.				सेहराडबरी		सेहराडबरी	
4.			29	हटकेशर	29 अ	हटकेशर	
5.				रत्नाबांधा	29 ब	रत्नाबांधा	
6.		धमतरी	30	धमतरी	30	धमतरी	
7.			31	सोरिदभाठ	31 अ	सोरिदभाठ	
8.				श्यामतराई	31 ब	श्यामतराई	
9.			33	रूद्री	33 अ	रूद्री	
10.				गोकुलपुर	33 ब	गोकुलपुर	

धमतरी, दिनांक 15 सितम्बर 2014

क्रमांक/991/भू-अभि./रा.नि.मं. पुनर्गठन/2014.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं भीमसिंह कलेक्टर धमतरी एतद्द्वारा तहसील धमतरी के नगर पालिक निगम धमतरी क्षेत्र के अंतर्गत पटवारी हल्कों को राजस्व निरीक्षक मण्डलों में पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं.

क्र.	तहसील का नाम	पुनर्गठन के पूर्व रा.नि. मण्डल के हल्का		पुनर्गठन के पश्चात् रा.नि.मं. के हल्का		कैफियत
		रा.नि.मं. का नाम	सम्मिलित पटवारी हल्के	रा.नि.मं. का नाम	सम्मिलित पटवारी हल्के	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	धमतरी	भोथली	1 से 29 = 29 हल्का	भोथली	1 से 19, 20 ब एवं 21 से 28 = 28 हल्का	ग्रामीण क्षेत्र
2.				बठेना	20 अ, 29 अ, 29 ब=3 हल्का	नगर पालिक निगम क्षेत्र
3.		धमतरी	30 से 47 = 18 हल्का	धमतरी 1	31 ब, 32, 33 अ एवं 34 से 47 = 17 हल्का	ग्रामीण क्षेत्र
4.				धमतरी 2	30, 31 अ, 33ब= 3 हल्का	नगर पालिक निगम क्षेत्र

भीम सिंह,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 18th September 2014

No. 41 (Mis)/I-7-3/2015 (Pt.-I).—The High Court of Chhattisgarh is pleased to declare that the following days are the Vacations, Holidays of the High Court of Chhattisgarh for the Year 2015 :—

Summer Vacation :— Monday 18th May to Friday 12th June, 2015

Winter Holidays :— Friday 26th December to Wednesday 31st December, 2015

S. No.	Name of Holiday	No. of Days	Dates as per Gregorian Calendar	Days of the week
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Holidays in continuation with Winter Holidays 2014	2	01-01-2015 & 02-01-2015	Thursday & Friday
2.	Republic Day	1	26-01-2015	Monday
3.	Mahashivratri	2	16-02-2015 to 17-02-2015	Monday to Tuesday
4.	Holi Holidays	2	06-03-2015 to 07-03-2015	Friday to Saturday
5.	Ram Navami	1	28-03-2015	Saturday
6.	Mahavir Jayanti	1	02-04-2015	Thursday
7.	Good Friday	1	03-04-2015	Friday
8.	Dr. Ambedkar Jayanti	2	13-04-2015 to 14-04-2015	Monday to Tuesday
9.	Raksha Bandhan	1	29-08-2015	Saturday
10.	Janmashtami	1	05-09-2015	Saturday
11.	Id-Ul-Zuha (Bakrid)	2	24-09-2015 to 25-09-2015	Thursday to Friday
12.	Gandhi Jayanti	1	02-10-2015	Friday
13.	Dashera & Muharrum Holidays	6	19-10-2015 to 24-10-2015	Monday to Saturday
14.	Deepawali Holidays	5	09-11-2015 to 13-11-2015	Monday to Friday

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	Gurunanak Jayanti	1	25-11-2015	Wednesday
16.	Christmas	1	25-12-2015	Friday

Notes :—

1. All the Sundays are declared holidays for the High Court and Registry including the Sundays falling during Summer Vacation & Winter Holidays.

2. Second & Third Saturdays of the month shall be closed Saturdays for the High Court and Registry.

3. The remaining Saturdays which are not declared holidays and which are not included in Summer Vacation and winter holidays are declared non working Saturdays for the High Court but Registry shall remain open on these Saturdays.

4. Milad-Un-Nabi fall on Sunday and Id-Ul-Fitr & Independence day fall on closed Saturday, therefore, no Holiday is declared separately.

5. The High Court shall remain closed from 18-05-2015 to 12-06-2015 on account of Summer Vacation but the Registry shall remain open during Summer Vacation.

6. The High Court shall remain closed from 26-12-2015 to 31-12-2015 on account of Winter holidays but the Registry shall remain open during Winter Holidays.

7. Holidays declared on account of Milad-Un-Nabi, Id-Ul-Fitr, Id-Ul-Zuha and Muharram are subject to change depending upon the visibility of the Moon. If the State Government declares any change in these dates through TV/AIR/Newspaper, the same will be followed.

8. The officers and employees of the High Court Establishment shall be entitled to avail of three optional holidays in the year, out of the list of optional holidays as may be declared by the State Government for the year 2015.

9. Holidays, Sundays, closed Saturdays and Vacation are in Red Ink & Non working Saturdays are in Blue Ink.

By order of the High Court,
ASHOK KUMAR PANDA, Registrar General.

Bilaspur, the 18th September 2014

No. 620/L.G./2014/II-03-04/2008.—Shri Neelam Chand Sankhla, District & Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara) is hereby, granted earned leave for 10 days from 01-09-2104 to 10-09-2014 along with permission to remain out of headquarters from the night of 30-08-2014 till the morning of 11-09-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sankhla, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 215 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (ADMN).